समाचार

पी.एम.ए.वाई. के तहत आवास आबंटन पंजीयन हेतु 15 व 16 मार्च को रविशंकर जोन कार्यालय में लगेगा शिविर

(शिविर में पहुंचकर पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ कर सकते हैं आवेदन)

कोरबा 12 मार्च 2022 – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजन के मोर मकान–मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत निर्मित आवासगृहों के आबंटन हेतु पंजीयन किए जाने के संबंध में 15 एवं 16 मार्च को रविशंकर शुक्ल जोन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। पात्र व्यक्ति शिविर में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन करा सकते हैं।

राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान–मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत निर्मित 481 आवासगृहों को किराये में मकान लेकर रहने वाले आवासहीन परिवारों को इस योजना में शामिल करते हुए उन्हें आबंटन किया जाना हैं। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इस हेतु पं.रविशंकर शुक्ल जोन कार्यालय में 15 एवं 16 मार्च को शिविर आयोजित किया गया है, इस शिविर में पात्र हितग्राहियों से आवेदन व आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका पंजीयन आबंटन हेतु किया जाएगा। इस संबंध में पात्रता हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार निगम क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति 31 अगस्त 2015 से पूर्व से निवासरत हो तथा इस हेतु मतदाता सूची, किराया नामा, निवास प्रमाण पत्र, अन्य शासकीय दस्तावेज व वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम होना चाहिए। पूरे परिवार की आय 03 लाख रूपये से कम होनी चाहिए, इस संबंध

में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार देश में किसी भी स्थान पर उनका पक्का मकान न हों, इस संबंध में संबंधित हितग्राही का शपथ पत्र होना चाहिए, व्यक्ति को प्रदेश को मूल निवासी होना अनिवार्य है। उक्त आवास आबंटन हेतु हितग्राही द्वारा 03 लाख 25 हजार रूपये की अंशदान राशि देय होगी। उक्त आवासगृहों के आबंटन प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति शिविर में पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।